न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या :– 10/2024

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2024/169

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 एच.पी.सी.एल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड जरिये प्रतिनिधि चीफ जनरल मैनेजर		1 तहसीलदार सांचौर तहसील व जिला–सांचौर

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम</u>

तारीख रजु :– 29.08.2024

उपस्थिति :–

1. एच.पी.सी.एल प्रतिनिधि।
2. तहसीलदार सांचौर।

:– निर्णय :– दिनांक :– 10.09.2024

प्रार्थी एच.पी.सी.एल राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड के स्थानीय प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 व 131 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा कालूपुरा, पटवार हल्का–पुर, तहसील–सांचौर के कंपनी द्वारा खरीदसुदा खसरा संख्या 2045/1579 रकबा 0.3237 किस्म बारानी सोयम की मौजुदा तरमीम राजस्व कार्मिकों ने मौके पर कब्जे से भिन्न कर दी है जिससे कम्पनी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्व भू–अभिलेखों में हुई इस त्रुटि को सही करने हेतु अधीनस्थ राजस्व कार्मिकों को कब्जा अनुसार तरमीम शुद्वि करने हेतु निर्देशित करवाने बाबत् आदेश फरमावें। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय रिकार्ड की सत्यापित प्रति का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस वास्ते जवाब तलब किया गया।

अप्रार्थी द्वारा जवाब मय मौका फर्द पेश किया गया। अप्रार्थी द्वारा कब्जे को लेकर खरीदकर्ता व बेचानकर्ता के मध्य किसी प्रकार का विरोध नहीं होना वर्णित किया। इस बाबत् कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा बेचानकर्ता का तरमीम [illegible] कब्जे अनुसार करवाने का सहमति पत्र भी पेश किया गया। बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। सरकारी पैरोकार के जवाब पर मनन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। मौका कब्जा एवं रिकार्ड की तरमीम में एकरूपता नहीं होने से जटिलताएं उत्पन्न होती है एवं अनावश्यक कानूनी विवाद उत्पन्न होते है। उक्त प्रकरण में बेचानकर्ता व खरीदकर्ता में रकबे को लेकर कोई विवाद नहीं है बस तरमीम कब्जा अनुसार नहीं की गई है, जिसे हम शुद्व

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किया जाना उचित मानते है। नवशे में कब्जा अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक व विधि संगत है।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बखूबी साबित एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसील सांचौर के ग्राम कालूपुरा, पटवार हल्का–पुर के खसरा संख्या 2045/1579 रकबा 0.3237 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम की तरमीम खरीदकर्ता एच. पी.सी.एल. राजस्थान रिफाईनरी लिमिटेड के कब्जा अनुसार शुद्व किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार सांचौर को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर नंबर से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 10.09.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.04 14:09:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner